पत्रांक–1/ब0 1–11/2026–214/

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 28/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 515, दिनांक 13.10.2026 तथा 516, 517, 518, 519 एवं 520 दिनांक 14.10.2026 के आलोक में क्रमशः दिनांक 07 अगस्त, 2026 को ज्ञान भवन, पटना में संत शिरोमणि गुरू रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती कार्यक्रम के आयोजन हेतु डिजिटल प्रिंट पुस्तिका, होर्डिंग, बैनर, बॉक्स गेट, स्टैण्डी, पीतल कलश, नारियल, स्टीकर, लाल कपड़ा की आपूर्ति करने के निमित्त ₹ 4,39,778/–एवं आमंत्रण पत्र, अंग वस्त्र, फ्लावर बुके, फुट पैकेट, पानी बोतल, जूट बैग, स्टील ग्लास, दीप स्टैण्ड, मैटरेस एवं रेड कारपेटिंग आदि की व्यवस्था तथा आपूर्ति के निमित ₹ 2,65,913/– एवं 100 पैकेट वेज स्नैक्स, 400 पीस पानी एवं 25 पीस चाय/कॉफी आपूर्ति के निमित्त ₹ 15,173/– एवं 38 पिकअप वाहन की ब्रांडिंग (हैवी आयरण फ्रेम, स्टार मीडिया फ्लैक्स एवं फुलों से साज–सज्जा) करने के निमित्त ₹ 4,70,820/– एवं एल0ई0डी0 बैकड्रॉप, लाईट, साउण्ड, फ्लावर डेकोरेशन, स्टेज एवं गेट, ऑयल पेंटिंग, प्लाई डेकोरेशन क्लाथ एवं फूल से करने के निमित्त ₹ 4,83,800/–तथा 1400 पैकेट वेज स्नैक्स आपूर्ति के निमित्त ₹ 1,60,320/– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड 08–2205001020101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में तत्काल कुल राशि ₹ 18,35,714/–(अठारह लाख पैंतीस हजार सात सौ चौदह रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता हैः–

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	₹ 8,46,40,472	₹ 18,35,714	₹ 8,64,76,186
योग–	₹ 8,46,40,472	₹ 18,35,714	₹ 8,64,76,186

तत्काल आवंटित राशि 18,35,714/–(अठारह लाख पैंतीस हजार सात सौ चौदह रूपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 एवं 380 दिनांक 20.04.2026 तथा 1148 दिनांक 18.09.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
28/10/26
(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 214/ पटना, दिनांक 28/10/2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 214/ पटना, दिनांक 28/10/2026

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26
सरकार के संयुक्त सचिव।